



Neutral Citation No. -2026: AHC: 179098

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 29967/2026

श्रीमती मीरा देवी @ कुश्मा देवी

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता	: शक्ति शंकर तिवारी, शिव रतन अरोरा, सुभाष चंद्र तिवारी
विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -66

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता, श्री सुभाष चन्द्र तिवारी तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, श्री आनंद प्रताप सिंह को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
- वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 39/2026, अंतर्गत धारा 85, 80(2) बी.एन.एस. तथा धारा 3/4 डी.पी. एक्ट, थाना-नगला खंगर, जनपद-फिरोजाबाद में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदिका को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
- आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदिका मृतका की सास है, जिसने घरेलू मामलों को लेकर हुए मामूली विवाद के पश्चात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आवेदिका को मात्र मृतका की सास होने के कारण झूठा फंसाया गया है, जबकि उसके विरुद्ध ऐसा कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्रदर्शित हो कि मृत्यु से पूर्व दहेज की मांग पूरी न होने के कारण उसने मृतका को प्रताड़ित किया था। आवेदिका को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सामान्य एवं अस्पष्ट आरोप लगाकर झूठा फंसाया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि विवाह के सात वर्ष के भीतर अप्राकृतिक परिस्थितियों में मृत्यु होने के मामले में दहेज मृत्यु की उपधारणा लागू करने के लिए यह प्रदर्शित करने हेतु पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए कि मृतका को मृत्यु के ठीक पूर्व क्रूरता का सामना करना पड़ा था, किन्तु ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और एक महिला होने के नाते वह धारा 480(1) बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों के दृष्टिगत जमानत पर रिहा किए जाने की पात्र है। आवेदिका 09.05.2026 से जेल में निरुद्ध है। यदि, उसे

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जमानत प्रदान की जाती है, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी तथा विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगी।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का जोरदार विरोध किया, किन्तु उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदिका एक **महिला** है, साथ ही अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता (सास) को दृष्टिगत रखते हुए तथा जेलों में अत्यधिक भीड़ एवं विचारण न्यायालयों के समक्ष लंबित आपराधिक मामलों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **कपिल वधावन बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** में प्रतिपादित अधिदेश तथा इस न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान करने के संबंध में **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन आल 6765** में प्रतिवेदित, में निर्धारित दिशानिर्देश को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदिका जमानत पर रिहा किए जाने की पात्र है। तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

6. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदिका- **श्रीमती मीरा देवी उर्फ कुशमा देवी**, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदिका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगी, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(ii) आवेदिका बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/विवेचना में निष्ठापूर्वक सहयोग करेगी।

(iii) आवेदिका जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी आपराधिक गतिविधि अथवा किसी अपराध के कारित करने में संलिप्त नहीं होगी।

(iv) आवेदिका अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगी।

7. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

8. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व आवेदिका तथा जमानतदारों की पहचान, हैसियत एवं निवास संबंधी प्रमाण-पत्र संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किए जाएंगे।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है । सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. आवेदिका तथा जमानतदारों के मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड का सत्यापन भी संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदिका को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा तथा संबंधित अधिवक्ता द्वारा इसका सत्यापन किया जाएगा, इस वचन के साथ कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी।
11. आवेदिका की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश प्रेषित करेगा।
12. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पालिसी स्ट्रेटेजी फॉर ग्रांट ऑफ़ बेल, इन री: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (सीआरएल) संख्या 4/2021 दिनांक 31.01.2023 को निर्णित, (2024) 10 एससीसी 685 में प्रतिवेदित तथा रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169/2025, पिला पाहन @ पीला पाहन एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, 29.05.2026 को निर्णित, में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में, इस आदेश की प्रति आवेदिका को फिरोजाबाद जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल अथवा ई-प्रिजन पोर्टल पर तथा विचारण न्यायालय को ई-मोड के माध्यम से 24 घंटे के भीतर प्रेषित की जाए।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

अगस्त 25, 2026